रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 500] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 1989/भाद्र 28, 1911
No. 500] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 1989/BHADRA 28, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1989

सा. का. नि. 844 (अ)—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 है।

(2) ये अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर "नियत दिन" को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:—

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) अभिप्रेत है,

(ख) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित रेल दावा अधिकरण अभिप्रेत है,

3. "वेतन"—

अध्यक्ष आठ हजार रुपए प्रतिमास वेतन प्राप्त करेगा ; उपाध्यक्ष प्रतिमास 7300-100-7600 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा और इसके अतिरिक्त, इस शर्त के अधीन रहते हुए पांच सौ रुपए प्रतिमास के विशेष वेतन का पात्र होगा कि विशेष वेतन सहित वेतन प्रतिमास आठ हजार रुपए से अधिक नहीं होगा, सदस्य प्रतिमास 7300-100-7600 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा,

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निवृत्त हुआ है, या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और जो पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदान या अन्य प्रकार की सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं के रूप में कोई सेवा निवृत्ति प्रसुविधा प्राप्त करता है या प्राप्त की है या

जिन्हें प्राप्त करने का हकदार हो गया है, वेतन में से पेंशन की कुल रकम अथवा अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदान के बराबर पेंशन या किसी अन्य प्रकार की सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं, यदि कोई हों, जो उसके द्वारा प्राप्त की गई हैं, या की जाएंगी, कम कर दी जाएंगी।

4. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता:—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुकूल महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता उन्हीं दरों पर प्राप्त करेगा जो समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधीन उसी वेतनमान में किसी समूह "क" अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।

5. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से निवृत्ति:—

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जो अधिकरण में अपनी नियुक्ति की तारीख को, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में था, अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से निवृत्ति ले लेगा और उच्च न्यायालय के किसी ऐसे आसीन न्यायाधीश की दशा में जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, अधिकरण में उसकी सेवा को भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग घ के पैरा 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) के अर्थान्तर्गत वास्तविक सेवा माना जाएगा।

(2) नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य ऐसी निवृत्ति के पूर्व उसको लागू होने वाले निवृत्ति नियमों के अनुसार पेंशन और उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु वह अपनी उपार्जित छुट्टी अर्जनीत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा किन्तु अपनी निवृत्ति के पूर्व उसकी लागू नियमों के अनुसार छुट्टी वेतन के, यदि कोई देय है, बराबर नकद रकम प्राप्त करने का हकदार होगा ।

6. छुट्टी:—

(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्ति पर निम्न प्रकार छुट्टी का हकदार होगा :

(i) सेवा या उसके किसी भाग के प्रत्येक पूरे—वर्ष के लिए पन्द्रह दिन की दर से उपार्जित छुट्टी ,

(ii) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बावत बीस दिन की दर से चिकित्सा प्रमाणपत्र पर या निजी कार्य पर आधा वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी वेतन के आधा के बराबर होगा ;

(iii) आधा वेतन पर छुट्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के स्वविवेकानुसार पूर्ण वेतन छुट्टी में संराशित की जा सकेगी, परन्तु यह तब जबकि वह चिकित्सा आधारों पर ली जाती है और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित है ,

(iv) एक पदावधि में एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम अवधि तक वेतन और भत्ते के बिना असाधारण छुट्टी ।

(2) यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण के कार्य में संलग्न रहने के कारण पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करने में असमर्थ है तो वह दीर्घावकाश की अनुपयुक्त अवधि को अपनी छुट्टी के लेखे में जोड़ने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "दीर्घावकाश" से अधिकरण द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक कलेंडर वर्ष में तीस दिन का दीर्घावकाश अभिप्रेत है ।

(3) अधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, अपने नाम में जमा उपार्जित छुट्टी वेतन के बराबर नकद रकम प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु इस उपनियम और नियम 5 के उपनियम (2) के परन्तुक के अधीन उस छुट्टी की मात्रा जिसके लिए बदले में नकद रकम प्राप्त की गई है, 240 दिन से अधिक नहीं होगी ।

(4) ऐसी छुट्टी वेतन के बराबर नकद रकम के अन्तर्गत अधिकरण में पदत्याग की तारीख को प्रवृत्त दरों पर छुट्टी वेतन पर महंगाई भत्ता भी है किंतु इसके अन्तर्गत प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता या कोई अन्य भत्ता नहीं है ।

7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी:—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और किसी सदस्य को छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी होगा और भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी होगा । अध्यक्ष किसी सदस्य को छुट्टी देने की शक्ति उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

8. पेंशन:—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा :

परन्तु ऐसी कोई पेंशन ऐसे किसी व्यक्ति को देय नहीं होगी—

(i) यदि उसने दो वर्ष की सेवा से कम सेवा की है, या

(ii) यदि उसे अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के किसी पद से हटा दिया गया है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन प्रत्येक सेवा के पूरे वर्ष या उसके भाग के लिए सात सौ रुपए प्रतिमास की दर से संगणित की जाएगी और अधिकरण में सेवा के वर्षों की संख्या पर ध्यान दिए बिना पेंशन की अधिकतम रकम तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु इस नियम के अधीन संदेय पेंशन की कुल रकम ऐसी किसी पेंशन की रकम सहित जिसके अन्तर्गत ऐसी पेंशन (यदि कोई हो) का संराशित भाग भी है जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त किया गया है या जिसे प्राप्त करने का हक है, चार हजार रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होगी ।

9. भविष्य निधि:—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अपने विकल्प के अनुसार साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा और, इस प्रकार उसके विकल्प की दशा में, साधारण भविष्य निधि नियमों के उपबंधों से शासित होगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में अपना पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या भारतीय विधिक सेवा का सदस्य या केन्द्रीय सेवा का सदस्य था, तो वह ऐसे नियमों द्वारा शासित होता रहेगा जो अधिकरण में उसके पद ग्रहण करने के पूर्व उसको लागू थे ।

10. दौरे/स्थानान्तरण पर यात्रा :

(1) अधिकरण का ऐसा अध्यक्ष जो अध्यक्ष बनने के पूर्व उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष या सदस्य अपने निवास स्थान पर प्रस्थान करने के लिए, दौरे पर रहने के दौरान या स्थानान्तरण पर (जिसके अन्तर्गत अधिकरण में पद-ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा भी है), यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता, व्यक्तिगत माल असबाब और ऐसी ही समान वस्तुओं के परिवहन का उन्हीं मापमान और उन्हीं दरों पर हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार

में समतुल्य वेतनमान के किसी समूह "क" के अधिकारी को लागू होती है ।

(2) ऐसा अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था इस नियम के अधीन अपनी हकदारी की बाबत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 के उपबंधों द्वारा शासित होता रहेगा ।

11. छुट्टी यात्रा--अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य उन्हीं दरों और उन्हीं मापमानों पर और उन्हीं शर्तों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतनमान के समूह "क" अधिकारियों को लागू होती है ।

12. वास-सुविधा:--(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित दरों पर अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर केन्द्रीय सरकार से शासकीय निवास का, यदि उपलब्ध हो, उपयोग करने का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के लिए ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार की आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है, निवासी वास सुविधा किराया प्रभारों पर ऐसी अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा पट्टे पर किराए पर ली जा सकेगी ।

(3) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट वास सुविधा नहीं दी जाती है या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे प्रतिमास ऐसे मकान किराए भत्ते का संदाय किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतनमान के किसी अधिकारी को समय समय पर अनुज्ञेय हो ।

(4) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अनुज्ञेय अवधि से अधिक शासकीय निवास का अधिभोग रखता है तो वह केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतन पाने वाले अधिकारियों को लागू होने वाले नियमों के अनुसार बेदखल किए जाने के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त ऐसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या अन्य प्रभारों को संदाय करने का दायित्वाधीन होगा जो जो केन्द्रीय सरकार को आवास सुविधा के आवंटन को शासित करने वाले केन्द्रीय सरकार के तत्समान नियमों के अधीन उद्ग्रहणीय है ।

13. सवारी की सुविधा--अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को जो उस सरकार में समतुल्य वेतन पा रहे हैं, लागू होने वाली स्टाफ कार सुविधाओं के उपयोग को शासित करने वाले नियमों के अनुसार सरकारी और निजी प्रयोजनों के लिए यात्रा के लिए स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा ।

14. चिकित्सा उपचार के लिए सुविधाएं--

(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में यथा उपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रवर्तन में नहीं है, वहां केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में यथा उपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा ।

(2) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट के बावजूद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य रेल के अधीन समतुल्य वेतनमान के अधिकारियों को लागू होने वाली रेल स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का उपयोग करने का हकदार होगा या, जहां ऐसे समतुल्य वेतनमान नहीं है वहां रेल के अधीन उच्चतम वेतनमान पाने वाले अधिकारियों को लागू होने वाली सुविधाओं का उपयोग करने का हकदार होगा ।

15. अध्यक्ष की सेवा आदि की शर्तें--

इन नियमों के नियम 4 से नियम 14 में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष की सेवा की शर्तें और उसे उपलभ्य अन्य परिलब्धियां वे ही होंगी जो किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं ।"

16. अवशिष्टीय उपबंध--अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की सेवा की कोई शर्त जिसके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की दशा में भारत सरकार के सचिव को तत्समय लागू होने वाले नियमों और आदेशों द्वारा और सदस्यों की दशा में भारत सरकार के अपर सचिव को लागू होने वाले नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित की जाएगी ।

17. नियम शिथिल करने की शक्ति,--केन्द्रीय सरकार को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

[सं. 89/टी. सी./(आर. सी. टी.)/1-6)]

रंजीत माथुर, विशेष कार्य अधिकारी, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railways Board)

NOTIFICATION

New Delih, the 19th September, 1989

G.S.R. 844(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—

(1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the 'appointed day' within the meaning of clause (b) of Section 2 of the Act.

2. Definitions :—

In these rules, unless the context otherwise requires.

(a) "Act" means the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987) ;

(b) "Tribunal" means the Railway Claims Tribunal established under Section 3 of the Act.

3. Pay :—

The Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand per mensem ; a Vice Chairman shall receive pay in the scale of rupees 7300-100-7600 per mensem and shall, in addition, be eligible for a special pay of rupees five hundred per mensem subject to the condition that the pay, together with special pay does not exceed rupees eight thousand per mensem ; a Member shall receive pay in the scale of rupees 7300-100-7600 per mensem :

Provided that in the case of appointment as Chairman, Vice-Chairman or Member of a person who has retired as a Judge of a High Court, or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of, or has received or has become entitled to, receive any retirement benefits, by way of pension, gratuity, employers's contribution to a Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of employer's contribution to the Contribution Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn, or to be drawn by him.

4. Dearness Allowance and City Compensatory Allowance.

The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance apppropriate to their pay at the same rates as are admissible to a Group 'A' Officer in the same scale of pay under the Central Government drawing an equivalent pay.

5. Retirement from parent service on appointment as Member :—

(1) The Chairman, a Vice-Chairman or a Member who, on the date of his appointment to the Tribunal, was in the service under the Central Government or a State Government shall seek retirement from such service before his appointment to the Tribunal and in the case of a sitting Judge of a High Court who is appointed as Chairman, his service in the Tribunal shall be treated as actual service within the meaning of sub-clause (i) of clause (b) of paragraph 11 of Part D of the Second Schedule to the Constitution of India.

(2) Subject to the provisions of rule 3, the Chairman, a Vice-Chairman or Member shall be entitled to receive pension and gratuity in accordance with the retirement rules applicable to him prior to such retirement :

Provided that he shall not be allowed to carry forward his earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent to leave salary, if any due, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement.

6. Leave :—

(1) A person, on appointment in the Tribunal as Chairman, Vice-Chairman or Member shall be entitled to leave as follows :

(i) earned leave at the rate of fifteen days for every completed year of service or a part thereof ;

(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs, at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave ;

(iii) leave on half pay can be communted to full pay leave at the discretion of the Chairman, Vice-Chairman or Member, provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority ;

(iv) extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office.

(2) If the Chairman, Vice-Chairman or a Member is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add the unenjoyed period of vacation to his leave account.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, 'vacation' means vacation of thirty days in each calender year observed by the Tribunal.

(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman, Vice-Chairman or Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit :

Provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule and proviso to sub-rule (2) of rule 5 shall not exceed 240 days.

(4) The cash equivalent of such leave salary shall include dearness allowance on leave salary at the rates in force on the date of relinquishment of office in the Tribunal but shall not include Compensatory (City) Allowance or any other allowances.

7. Leave sanctioning authority :—

The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to the Vice-Chairman and a Member and the President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman. The Chairman may delegate to a Vice-Chairman the powers to grant leave to a Member.

8. Pension :—

(1) Every person appointed to the Tribunal as Chairman, Vice-Chairman or Member shall be entitled to pension :

Provided that no such pension shall be payable to such a person —

(i) if he has put in less than two years of service ; or

(ii) if he has been removed from an office in the Tribunal under sub-section (2) of section 8 of the Act.

(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year or service or a part thereof and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum.

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule, together with the amount of any pension including commuted portion of pension (if any), drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal, shall not exceed four thousand rupees per mensem.

9. Provident Fund :—

The Chairman, Vice-Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and, in the case of his so opting, shall be governed by the provisions of the General Provident Fund Rules :

Provided that if the Chairman, Vice-Chairman or a Member was a Judge of a High Court or a Member of the Indian Legal Service, or a Member of a Central Service immediately before his joining the Tribunal, he shall continue to be governed by the rules as were applicable to him before his joining the Tribunal.

10.. Journeys on tour|transfer :—

(1) A Chairman who was a Vice-Chairman before becoming Chairman, a Vice-Chairman or a Member of the Tribunal, shall while on tour, or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal) to proceed to his home town, be entitled to travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are applicable to a Group 'A' Officer of equivalent pay scale in the Central Government.

(2) A Chairman who was a judge of a High Court shall continue to be governed by the provisions of the High Court Judge (Travelling Allowances) Rules, 1956, as regards his entitlements under this rule

11. Leave Travel :—

The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to Group 'A' officers of equivalent pay scale in the Central Government

12. Accommodation :—

(1) Every person appointed to the Tribunal as a Chairman, Vice-Chairman or Member shall be entitled to the use of an official residence from the Central Government if available, on the payment of the licence fee at the rates prescribed by the Central Government from time to time.

(2) Residential accommodation for the Chairman, a Vice-Chairman or a Member at such stations where Central Government accommodation is not available, may be hired on lease by the Central Government subject to such ceilings on hire-charges as may be specified by the Central Government from time to time.

(3) When the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is not provided with, or does not avail himself of the accommodation referred to in sub-rules (1) and (2), he may be paid, every month, house rent allowance as may be admissible from time to time to an officer of equivalent pay scale in the Central Government.

(4) When the Chairman, a Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period, he shall be liable to pay such additional licence fee or other charges as are leviable under corresponding rules of the Central Government governing allotment of Central Government accommodation in addition to being liable to eviction in accordance with the rules applicable to the officers drawing equivalent pay in the Central Government.

13. Facility of conveyance :—

The Chairman, Vice-Chairman and Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the rules governing use of staff car facilities applicable to officers of the Central Government drawing equivalent pay in that Government.

14. Facilities for Medical treatment :—

(1) The Chairman, Vice-Chairman or Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme and in places where the Central Government Health Scheme is not in operation, as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Chairman, Vice-Chairman or Member shall be entitled, at his option to avail of the health service facilities appplicable to the officers of equivalent pay scales under the Railway Administration or, where there are no equivalent pay scales, to facilities applicable to officers drawing the highest pay scale under the Railway Administration.

15. Conditions of Service etc., of the Chairman.

Notwithstanding anything contained in rules 4 to 14 of these Rules, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court."

16. Residual provision :—

Any condition of service of the Chairman, Vice-Chairman or Member for which no express provision has been made in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India in the case of the Chairman and Vice-Chairman, and by the rules and orders applicable to Additional Secretary to the Government of India in the case of Members.

17. Powers to relax rules :—

The Central Government shall have power, for reasons to be recorded in writing, to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. 89|TC(RCT)|1-6]

RANJIT MATHUR, Officer on Special Duty
Railway Board.

2648 GI/89—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989